# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/4860 दिनांकः 15.07.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

**विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 – प्रारम्भिक तैयारियां।**

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव की घोषणा से पूर्व चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों पर प्रारंभिक तैयारियां यथासमय पूर्ण की जानी है।

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा समय–समय पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देश तत्समय आपको ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं, और इन महत्वपूर्ण निर्देशों को राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया गया है। आम चुनावों से संबंधित सभी तैयारियां आप द्वारा समय पर सम्पन्न करवायी जानी आवश्यक है। अतः चुनाव कार्य के निर्बाध संचालन के लिए निम्न बिन्दुओं पर चुनाव संबंधी तैयारियां यथासमय पूर्ण कर लेवे।

1. **निर्वाचक नामावली** – आयोग के आदेश क्रमांक 5228 दिनांक 31.12.2025 के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस को विभक्त कर फोटोयुक्त मतदाता सूचियॉ तैयार की जा चुकी है। जिनका **अंतिम प्रकाशन दिनांक 25.02.2026 को किया जा चुका है।**

   मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन हेतु आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 4200 दिनांक 01.07.2026 से दिशा–निर्देश जारी किये गये है। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि मतदाता सूचियों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात् भी लोक सूचना जारी किए जाने की तिथि से 10 दिवस पूर्व तक निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधानों के अनुसार संशोधन हो सकता है। अतः मतदाता सूचियों में जो कमियॉ रह जायें उन्हें उक्तानुसार सही करवाया जावे।

2. **मतदान केन्द्रों का विनिश्चिय** – राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए मतदान केन्द्रों/बूथों का चयन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। **इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 5221 दिनांक 31.12.2025 के द्वारा आपको निर्देश जारी किये जा चुके हैं।**

3. **रिटर्निंग अधिकारियों/मतदान अधिकारियों की नियुक्ति** – आयोग के आदेश क्रमांक 181 एवं 175 दिनांक 05.01.2026 के द्वारा क्रमशः जिला परिषदों के सदस्यों एवं जिला परिषदों के प्रमुख एवं उपप्रमुख के निर्वाचन हेतु जिले के जिला कलक्टर को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी के सहायतार्थ सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति आपके प्रस्तावानुसार आयोग द्वारा की जानी है। पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किये जाने का नियमों में प्रावधान है। अतः आप इनकी नियुक्ति

प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर नियुक्त किए गए रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की सूची आयोग को उपलब्ध करवायें।

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23(2) के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत वृत के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी तथा नियम 31 के अंतर्गत मतदान दलों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से की जावेगी।

4. **मतदान दलों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण** – आपके जिले में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वायत्तशासी विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मास्टर डेटा को IFMS शाला दर्पण पोर्टल से प्रयुक्त किये जाने हेतु संबंधित विभागों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को अनुमत किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। मतदान दलों के गठन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना यदि अभी तक एकत्र नहीं की गई है, तो तुरन्त एकत्र करवा लेवें और मतदान दल के गठन के संबंध में आवश्यक तैयारी आरम्भ कर ली जावे। मतदान दलो के गठन के संबंध में **आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5096 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा निर्देश प्रदान किए हुए है। मतदान दलों के गठन एवं रेण्डमाईजेशन हेतु पूर्व में NIC द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना है।**

मतदान दलों को दो प्रशिक्षण दिए जाने हैं। प्रथम प्रशिक्षण में पंचायत वृत्त के लिए नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी के अतिरिक्त मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी प्रथम को सम्मिलित किया जाना है। द्वितीय प्रशिक्षण मतदान दलों की रवानगी के दिन मतदान दल के सभी सदस्यों को दिया जाएगा। यदि किसी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण या प्रथम प्रशिक्षण में अतिरिक्त सहायक मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता महसूस हो तो **आयोग की अनुमति से ऐसा किया जा सकेगा।** प्रथम प्रशिक्षण यथासंभव मतदान तिथि से 10 दिवस पूर्व आयोजित कर लिए जाए।

5. **ईवीएम की उपलब्धता एवं आवंटन** – राजस्थान राज्य मे पंचायती राज संस्थाओं के पंच/सरपंच के आगामी आमचुनाव मतपेटी से तथा जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के आगामी आमचुनाव ईवीएम मशीनों की उपलब्धता के आधार पर ईवीएम के माध्यम से कराए जाने सम्भावित हैं। उक्तानुसार चुनाव कार्य हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके स्वामित्व की आवंटित M3A मॉडल की ईवीएम मशीने, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उनके स्वामित्व की आवंटित MPMV मशीनों तथा आयोग के स्वामित्व की ECIL की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की MK-5 ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जावेगा।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उनके स्वामित्व की आवंटित MPMV मशीनों तथा आयोग के स्वामित्व की ECIL की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) का कार्य सम्बंधित कम्पनी ECIL/BEL के इंजिनियर्स/तकनीशियन के द्वारा पूर्व में किया जा चुका है एवं शेष रही ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच का कार्य शीघ्र ही किया जावेगा।

6. **मतपेटियाः**– पंच/सरपंच के आगामी आमचुनाव मतपेटियों से करवाऐ जाने सम्भावित है एवं उक्त चुनाव कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा मे मतपेटियॉ जिलों में ही उपलब्ध हैं। मतपेटी मे ऑयलिंग/ग्रीसिंग के संबंध में आयोग के पत्रांक 5109 दिनांक 26.12.2025 से दिशा निर्देश

जारी किये जा चुके हैं। जिसके क्रम मे आप द्वारा मतपेटियों मे ऑयलिंग/ग्रीसिंग का कार्य पूर्ण कर लिया होगा। साथ ही आपके जिले में मतपेटियों की उपलब्धता के संबंध मे आयोग के पत्रांक 83 दिनांक 01.01.2026 द्वारा सूचना चाही गई थी जिसमें आप द्वारा अतिरिक्त आवश्यकता व उपलब्धता (Surplus) की सूचना भी आयोग को प्रेषित की गई है जिसके क्रम मे किसी जिले मे मतपेटी की अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर आवंटन किया जा चुका है। जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए निर्वाचनों में ईवीएम की पर्याप्त उपलब्धता नही होने के आधार पर कुछ पदों/स्थानों पर निर्वाचन मतपेटियों से भी कराया जाना सम्भावित है।

7. **मतदान सामग्रीः–** ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) की सामग्री में से आंशिक सामग्री का वितरण किया जा चुका है एवं शेष रही सामग्री का वितरण शीघ्र किया जायेगा। मतदान सामग्री यथा फॉर्म, लिफाफे, पुस्तके आदि का मुद्रण कार्य आयोग द्वारा करवाया जा रहा है। जिनके मुद्रण उपरान्त मतदान सामग्री के वितरण की तिथियों की सूचना से आपको शीघ्र ही अवगत करवा दिया जायेगा। आयोग द्वारा आपको SDMM/DMM लिफाफें, पीठासीन अधिकारी की डायरी एवं ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच से संबंधित पिंक पेपर सील (नासिक) स्ट्रीप सील उपलब्ध कराये जायेगें जिसके आवंटन हेतु दिनांक नियत कर सामग्री प्राप्त करने हेतु आपको यथाशीघ्र सूचित कर दिया जायेगा।

8. **ईवीएम मतपत्र एवं साधारण मतपत्र** – पंच/सरपंच, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के प्रमुख एवं उपप्रमुख/पंचायत समिति के प्रधान एवं उपप्रधान तथा उपसरपंच के चुनाव हेतु मतपेटी हेतु मतपत्र मुद्रण के लिए आयोग द्वारा क्रमशः पत्र क्रमांक 21, 28, 35 तथा 42 दिनांक 01.01.2026 से आपको विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त चुनाव कार्य मे उपयोग आने वाले मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में आयोग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है। मतपत्रों के मुद्रण हेतु कागज का आवंटन राजकीय मुद्रणालयों/निजी फर्म मैसर्स श्री एन्टरप्राईजेज से किया जा चुका है। खराब पाये गये /अतिरिक्त आवश्यकता होने पर आवश्यकतानुसार कागज का आवंटन शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

9. **प्रशिक्षण** – आगामी आम चुनावों में उपयोग ली जाने वाली EVM मशीनों के संचालन हेतु जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया चुका है। जिसके उपरान्त आप द्वारा अपने स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चुनाव कार्य में नियोजित किए जाने वाले अन्य कार्मिकों को भली–भांति प्रशिक्षण दिया जा चुका होगा।

10. **बजट** – निर्वाचक नामावली एवं आम चुनाव–2026 के लिए प्रारम्भिक बजट का आवंटन आयोग के पत्रांक 12 दिनांक 01.01.2026 के द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को किया जा चुका है। यदि कोई अतिरिक्त राशि की मांग है तो अधिक मांग के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किये जावें।

11. **चुनाव व्यवस्था के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करना** – जिला स्तर पर चुनाव की व्यापक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर प्रभारी नियुक्त कर लिये जाए।

12. **पंचायतीराज निर्वाचनों से संबंधित पुस्तकें** –

1. पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में किये गये संशोधनो को समाहित करते हुए Manual of Panchayati Raj Election Law, 2026 तैयार की जा चुकी है। उक्त पुस्तिका आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी गई है।

2. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित समय–समय पर जारी महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन पुस्तिका 'पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन' (Compedium of Instructions) राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी गई है।

3. इसके अतिरिक्त पंच/सरपंच के रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए मतदान अधिकारियों के लिए मतपेटी एवं ईवीएम से चुनाव होने की स्थिति में दोनों के लिए पृथक–पृथक मार्गदर्शिका भी राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी गई है।

उक्त पुस्तिकाओं मुद्रित प्रतियां भी यथाशीघ्र आपको उपलब्ध करा दी जाएगी।

भवदीय,

15/7/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/4861-66 दिनांक: 15.07.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

15/7/2026

(रूचि अग्रवाल)
उप विधि परामर्शी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान